सं.11/1/2017-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना - केन्द्र सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र और लद्दाख में सेवारत कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जाना।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए सभी विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह विनिश्चय करते हैं कि केन्द्र सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र और लद्दाख में सेवारत कर्मचारियों को मूल वेतन के 10% की दर से विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

2. पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

3. विशेष ड्यूटी भत्ता दुर्गम स्थल भत्ते के साथ स्वीकार्य नहीं होगा। कर्मचारियों के पास पुनरीक्षित दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ-साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरों के अनुसार विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ते (एससीआरएलए) का लाभ उठाने का अतिरिक्त विकल्प होगा।

4. छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरे आदि की पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) से अधिक की अवधि के दौरान विशेष ड्यूटी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा यदि कर्मचारी छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरे आदि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और लद्दाख से बाहर हो। यह भत्ता निलंबन एवं कार्यभार ग्रहण के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा।

5. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

6. ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से भुगतान किया जाता है और यह व्यय "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" के संगत शीर्ष में प्रभारित किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।